न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच.गौरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 162/2017 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2015/00013)

1. सुनीता कंवर पत्नी गिरवरसिंह
2. मंजीत सिह पुत्र गिरवरसिह
3. संजीत सिह पुत्र गिरवरसिह
4. रेणु कंवर पुत्री गिरवरसिह

जाति राजपूत निवासी धणाऊ तहसील राजगढ जिला चूरू।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. रामचन्द्र सिह पुत्र भवंर सिह जाति राजपूत निवासी धणाऊ तहसील राजगढ जिला चूरू।
2. गोविन्द सिह
3. दारासिह
4. निर्मला कंवर

पुत्र पुत्रिया रामचन्द्र सिह जाति राजपूत निवासी धणाऊ तहसील राजगढ जिला चूरू।

5. ग्राम पंचायत धणाऊ जरिये सरपंच
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार/नायब तहसीलदार सिद्वमुख/राजगढ जिला चूरू।
7. शाखा प्रबधक बैक ऑफ बड़ौडा शाखा राजगढ।
8. उप पंजीयक महोदय सिद्वमुख

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः
1. श्री एस.एन. तिवाड़ी – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री राजेन्द्र शिमला – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 4
3. श्री धर्मेन्द्र रंगा अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 7
4. श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांकः 18.05.2022

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी राजगढ के निर्णय दिनांक 03.06.2015 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 4 रामचन्द्र सिह, गोविन्द सिह, दारासिह, निर्मला कंवर ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ में ग्राम पंचायत धणाऊ के आदेश विरूद्ध अपील पेश कर निवेदन किया कि विक्रय पत्र दिनांक 24.06.2004 के अनुसार अपीलार्थीगण के नाम राजस्व अभिलेखो में बतौर खातेदार नाम अंकित करने का आदेश देने तथा विरासतन

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

इन्तकाल तस्दीक किया हुआ है उसको निरस्त किया जावे तथा लोन की भरपाई प्रत्यर्थीणण सं. 1 ता 4 (जो इस अपील में अपीलान्ट है) की शेष बची कृषी भूमि से प्राप्त कर लेवे। जिस पर उपखण्ड अधिकारी राजगढ ने अपने निर्णय दिनांक 03.06.2015 द्वारा उक्त अपील को स्वीकार कर लिया। जिसके विरूद्व अपीलान्ट्स सुनीता कंवर वगैरह द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।

4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुवे बहस कें दौरान कहा कि कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 480 तादादी 00.1 बीधा, खसरा नम्बर 897/47 तादादी 9.06 बीधा, खसरा नम्बर 918/243 तादादी 23.04 बीधा, खसरा नम्बर 936/481 तादादी 3.10 बीधा, खसरा नम्बर 962/620 तादादी 21.02 बीधा, कुल तादादी 57.03 बीधा रोही ग्राम धणाऊ तहसील राजगढ में स्थित है। उक्त कृषि भूमि अपीलान्ट्स के स्व. पिता व पति की सयुक्त खातेदारी कृषि भूमि थी, जिसमें संयुक्त रूप से 4/9 हक व हिस्सा बनता था, सयुक्त कृषि भूमि में किसी विशिष्ट भू भाग को विक्रय नही किया जा सकता था। अपीलान्ट के पिता व पति ने अपने हिस्से से अधिक का 9 बीधा भूमि का तथाकथित बैनामा किया था। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट स. 1 ता 4 द्वारा इन्तकाल सं. 659 दिनांक 23.07.2007 के आदेश की अपील करीब 7 वर्ष बाद प्रस्तुत की थी, दफा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे सर्व प्रथम जानकारी दिनाक 30.05.2013 बताई जबकि अपील मे यह जानकारी दिनांक 17.04.2013 अंकित है। इस तथ्य से साबित है कि मियाद कन्डोन का प्रार्थना पत्र गलत वेग व झूठा प्रस्तुंत किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय को सर्व प्रथम मियाद के बिन्दु पर निर्णय करना था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मियाद का बिन्दु तय किये बिना ही मेरिट पर निर्णय कर दिया जो गलत है। उक्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 4 का कभी कब्जा नही रहा, ना ही आज है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 29.05.2015 का हवाला देकर कब्जा रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 4 का बताया है, जो गलत है तथा कथित रिपोर्ट एक तरफा तौर पर की गई होने से भी पढे

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

जाने योग्य नही थी। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट सं. 4 एव 5 पर तामिल भी नही हुई थी, बिना तामिल प्रक्रिया अपनाये पत्रावली बहस में लाई गई। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर आदेश जैर अपील दिनांक 03.05.2015 को निरस्त किया जावे तथा प्रकरण को रिमाण्ड किया जावे। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में RRT 2021 (1) पेज 610, 615, RRD 1981 पेज 487, RRD 1985 पेज 655, RRD 1995 पेज 300, RRD 1958 पेज 28, RRT 2018 (1) पेज 485, AIR 1999 S.C. पेज 739, RBJ (7) 2000 पेज 71, SUPREME COURT OF INDIA अनवान पी.के. रामचन्द्रन बनाम स्टेट वगैरह निर्णय दिनांक 19.09.1997 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 के अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 4 उक्त भूमि के खरीददार है, अपीलान्ट्स के पति एवं पिता ने अपने स्वंय के हिस्से की भूमि बेची है। उक्त भूमि कोई पैतृक सम्पति नही थी। इन्होने भूमि के पैसे ले लिये दुसरी तरफ से भूमि भी वापिस लेना चाहते है। रेस्पोडेन्ट्स के नाम सेलडीड है, अपीलान्ट्स ने सेलडीड को निरस्त करवाने की कोई कार्यवाही नही की है। अधीनस्थ न्यायालय में पटवारी की रिपोर्ट में हमारा पजेशन माना है। अधीनस्थ न्यायालय में धारा 5 मियाद के प्रार्थना पत्र मे देरी का कारण लिखा गया है। जहां मामला मेरिट पर मजबूत हो वहां मियाद का प्रश्न गौण है, मियाद के बिन्दू को अलग से तय नही करना पड़ता है। रेगुलर शूट पेश हो चुका है, कितनी जमीन थी वो सब दावो में तय होना है, इतने वर्षों बाद अपीलान्ट ऐतराज नही उठा सकते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सही है अपीलान्ट की द्वितीय अपील वेग है अत अपीलान्ट की अपील निरस्त की जावे।

6. हमन विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। प्रस्तुत अपील उपखण्ड अधिकारी राजगढ को निर्णय दिनांक 03.06.2015 के विरूद्व अदालतवाला में प्रस्तुत की गई है जिसमे मुख्य आधार अपीलान्ट का यह कि अपीलान्ट के पिता व पति की सयुक्त खातेदारी कृषि भूमि मे 4/9

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

हक बनता है। जबकि अपीलान्ट के पिता व पति ने 9 बीघा भूमि अपने हिस्से से अधिक विशिष्ट भू–भाग का विक्रय किया है साथ ही नामान्तकरण सं. 659 दिनांक 23.07.2007 के विरूद्ध करीब 7 वर्ष पश्चात अपील प्रस्तुत की गई है जिसके साथ प्रस्तुत मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे जानकारी तिथि 30.05.2013 तथा अपील मीमो में जानकारी 17.04.2013 अंकित की है जिसके कारण प्रार्थना पत्र गलत व झूठा है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई गौर नहीं किया गया है। इस संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अपील मीमो का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि अपील के बिन्दू सं. 4 (ड़) " के अनुसार अपीलार्थीगण द्वारा अपने नाम से खातेदारी का अंकन नहीं होने की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 17.04.2013 को प्राप्त हुई इस बाबत अपीलार्थी सं. 1 अपना शपथ पत्र साथ में पेश कर रहा है " तथा बिन्दू सं. 4 (झ) में अंकित किया कि " इंतकाल की नकल दिनांक 30.05.2013 को प्राप्त हुई व अपील अंदर मियाद पेश की जा रही है।" मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र में नामान्तकरण की जानकारी 30.05.2013 में होना अंकित किया है जोकि एक लिपिकीय त्रुटि प्रतीत होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को तकनीकी आधार पर निस्तारित करने के स्थान पर गुणावगुण पर निर्णित किया गया है जो कि न्यायसंगत है। अपीलान्ट का यह कथन कि पिता व पति द्वारा विशिष्ट भू–भाग तथा अपने हिस्से से अधिक भूमि का विक्रय किया गया है के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज विक्रय पत्र दिनांक 24.06.2004 से उक्त कथन प्रमाणित नहीं होता है। अपीलान्ट के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रकरण के तथ्यो से भिन्न होने से हस्तगत प्रकरण पर हुबहू चस्पा नही होते है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कानूनन आवश्यकता नहीं है। अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

7. तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 18.05.2022 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एच.गौरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर